प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक- 16.09.2026

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित/वारण्टी एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग के दौरान मा0 न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष सं0-21, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत वारण्ट से संबंधित खुनाई 4 ओल्ड क्रि0 केस/1511804/2004, मु0अ0सं0 149/2000, धारा 147/323/504 भादवि, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारण्टी अभियुक्त राजीव कुमार पुत्र बचई यादव, उम्र करीब 47 वर्ष, निवासी ग्राम गनईडीह, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- राजीव कुमार पुत्र बचई यादव, उम्र करीब 47 वर्ष, निवासी ग्राम गनईडीह, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 नन्दु कुमार यादव मय हमराह पीआरडी राकेश दुबे, रि0का0 अश्वनी कुमार एवं रि0का0 जय प्रकाश, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

थाना अन्तू पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना अन्तू पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित/वारण्टी एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारण्ट से संबंधित क्रिमिनल केस नं0 2002416/2000, स्टेट गवर्नमेंट बनाम लल्ले हरिजन से संबंधित वारण्टी अभियुक्त लल्ले हरिजन पुत्र राजाराम, निवासी ग्राम रैवीरजानीपुर, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ को ग्राम कोडरा मादूपुर, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ स्थित पते से दबिश देकर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- लल्ले हरिजन पुत्र राजाराम, निवासी ग्राम रैवीरजानीपुर, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 मतगंजन मिश्रा मय हमराह का0 विकास यादव, का0 हरिओम शुक्ला एवं का0 कन्हैया प्रजापति, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी पुलिस द्वारा मारपीट, बलवा एवं अन्य संबंधित धाराओं के अभियोग से संबंधित 01 बाल अपचारी अभिरक्षा में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 332/2026 से संबंधित 01 बाल अपचारी को विधिक प्रक्रिया के तहत अभिरक्षा में लिया गया। उ0नि0 अमित कुमार चौहान मय हमराह का0 संजय चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र एवं मु0अ0सं0 332/2026 धारा 3(5), 115(2), 352, 351(3), 61(2)A, 190, 191(2), 191(3), 126(2), 109(1) बीएनएस थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ की विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम कुन्दनपुर पहुंचकर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 01 बाल अपचारी को उसके घर के पास से अभिरक्षा में लिया गया।

बाल अपचारी का विवरण-
01 बाल अपचारी

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अमित कुमार चौहान,का0 संजय चौहान, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक: 16 सितम्बर 2026

संगठित साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश : फर्जी फर्मों के नाम पर करेण्ट/कॉर्पोरेट खाते खुलवाकर देशभर में ऑनलाइन सट्टेबाजी, ट्रेडिंग फ्रॉड व साइबर ठगी की रकम की हेराफेरी करने वाले गिरोह के 02 सदस्य गिरफ्तार-

जनपद प्रतापगढ़ की क्राईम ब्रान्च द्वारा दिनांक 15.09.2026 को की गई कार्यवाही में एक संगठित साइबर अपराध गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 02 अभियुक्तों — शाकिब खान पुत्र स्व0 सगीर खान, निवासी फ्रेजर रोड, पटना (मूल निवासी थाना लासा, जनपद वाराणसी) तथा संदीप कुमार पुत्र टुनटुन लाल रजक, निवासी बन्दर बगीचा, पटना, बिहार — को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 318(4)/319(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ पर दिनांक 16.07.2026 को वादी डॉ0 सुमनेश सिंह पुत्र महादेव सिंह, निवासी भुवालपुर डोमीपुर के बड़ौदा यू0पी0 बैंक, शाखा मोहनगंज स्थित बैंक खाते से साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से बिना सूचना के ₹2,50,000/- निकाले जाने के संबंध में मु0अ0सं0 0190/2026, धारा 318(4)/319(2) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

बरामदगी का विवरण-
अभियुक्तगण की तलाशी व उनके वाहन की जांच में पुलिस टीम द्वारा भारी मात्रा में अभिलेख व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
*** 01 लैपटॉप (लेनोवो) मय चार्जर तथा 01 POS मशीन मय चार्जर**
*** 06 मोबाइल फोन (एक खराब स्थिति में), जिनकी प्रारंभिक जांच में विभिन्न सिम व IMEI नम्बरों से जुड़े होने की पुष्टि हुई**
*** 06 पेन ड्राइव, 01 कार्ड रीडर, 01 डिजिटल सिग्नेचर डिवाइस तथा 01 चिप (8 जीबी) कई बैंकों की चेकबुकें, ATM, QR कोड इत्यादि**

अपराध की कार्यप्रणाली-

पूछताछ व साक्ष्यों के विश्लेषण में सामने आया कि अभियुक्त शाकिब खान अपने पिता के विज्ञापन (एडवरटाइजिंग) व्यवसाय की आड़ में एक संगठित साइबर ठगी नेटवर्क का संचालन कर रहा था। गिरोह की कार्यप्रणाली मुख्यतः निम्न चरणों में सामने आई:

गिरोह का एक सहयोगी अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट, फर्जी ट्रेडिंग/निवेश स्कीमों, कोरियर के नाम पर ठगी व वायरस-युक्त APK फाइलों के माध्यम से साइबर फ्रॉड संचालित करता था तथा पुलिस से बचने हेतु विदेशी/फर्जी सिम व बदले हुए पतों का प्रयोग करता था।

इस नेटवर्क को अपने संग्रहित/धोखे से प्राप्त फर्जी दस्तावेजों (जाली किरायानामा, फर्जी उद्यम/एमएसएमई/जीएसटी पंजीकरण) के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों — अधिकांशतः अपने अनपढ़ या आश्रित कर्मचारियों व परिचितों — के नाम पर फर्जी फर्में पंजीकृत कर बैंकों में करेण्ट व कॉर्पोरेट खाते खुलवाकर उपलब्ध कराए जाते थे, क्योंकि ऐसे खाते सामान्य बचत खातों की तुलना में बड़ी व संदिग्ध राशि के लेन-देन पर आसानी से बैंकों द्वारा फ्रीज नहीं किए जाते।

जांच में एक ही पते पर कई-कई फर्मों के तथा एक ही मोबाइल नम्बर पर कई फर्जी फर्मों के पंजीकरण की पुष्टि हुई है, जिससे स्पष्ट है कि सभी खातों का वास्तविक नियंत्रण अभियुक्तगण के पास ही केंद्रित था, जबकि कागजों में खाते अलग-अलग व्यक्तियों के नाम दर्शाए गए थे।

इन फर्जी फर्मों/खातों के आधार पर बैंक खाते, उनसे जुड़े सिम कार्ड व ई-मेल आईडी उपलब्ध कराने के एवज में अभियुक्तगण को कुल लेन-देन राशि में कमीशन में प्राप्त होता था। प्रारंभिक विश्लेषण में एक वर्ष की अवधि में अभियुक्तों द्वारा नियंत्रित खातों के माध्यम से लगभग ₹42.65 करोड़ (₹426523649/-) की साइबर फ्रॉड राशि का लेन-देन होना पाया गया है, तथा कुल 109 फर्मों के खाते विभिन्न बैंकों में सक्रिय पाए गए हैं।

समन्वय पोर्टल विश्लेषण —

अखिल भारतीय स्तर पर संलिप्तता- गृह मंत्रालय के समन्वय (Samanvaya) पोर्टल पर की गई प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि अभियुक्तगण द्वारा संचालित/नियंत्रित बैंक खाते व मोबाइल नम्बर देशभर में 500 से अधिक साइबर अपराध शिकायतों से लिंक पाए गए हैं। यह तथ्य गिरोह की गतिविधियों की व्यापकता तथा अखिल भारतीय स्तर पर

पीड़ितों की संख्या को दर्शाता है। सम्बंधित राज्यों की साइबर क्राइम इकाइयों से समन्वय स्थापित कर अग्रिम विवेचना की जा रही है।

विधिक कार्यवाही-

अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में पंजीकृत धारा 318(4)/319(2) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट के अतिरिक्त, विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 336(3), 338, 340(2), 112(2), 61(2), 45 व 3(5) की भी बढ़ोतरी की गई है।